न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, चूरू (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी	–	सोनिका पुरोहित, R.J.S. (DJ Cadre)
आपराधिक अपील संख्या	–	88/2025
सीएनआर नम्बर	–	RJCH010009752025

राजस्थान सरकार जरिए लोक अभियोजक, चूरू – अपीलार्थी/अभियोजन

बनाम

सीताराम पुत्र राधाकिशन निवासी वार्ड नम्बर 37, चूरू तहसील व जिला चूरू (राजस्थान)

– प्रत्यर्थी/अभियुक्त

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 30.07.2025, जो योग्य अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू सुश्री शिवानी आरजेएस द्वारा नम्बरी फौजदारी 767/2014 अनुवानी राज्य बनाम सीताराम वगैरह में पारित किया गया।

उपस्थिति:–

1. श्री रोशनसिंह राठौड़, योग्य लोक अभियोजक – अपीलार्थी/अभियोजन की ओर से।
2. श्री विजयसिंह शेखावत, योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी/अभियुक्ता की ओर से।

– नि र्ण य –

दिनांक 18–03–2026

1. यह फौजदारी अपील राजस्थान राज्य जरिये योग्य लोक अभियोजक की ओर से इस न्यायालय में दिनांक 18.09.2025 को प्रस्तुत प्रस्तुत की गई। इस अपील के माध्यम से अपीलार्थी/अभियोजन ने योग्य विचारण न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू द्वारा उनके यहाँ लम्बित फौजदारी प्रकरण संख्या 767/2014 अनुवानी राजस्थान राज्य बनाम सीताराम वगैरह में दिनांक 30.07.2025 को पारित निर्णय को चुनौति प्रदान की गई है।

2. योग्य विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से प्रत्यर्थी/अभियुक्त सीताराम को अपराध अन्तर्गत धारा 332, 353/34 भारतीय दण्ड संहिता तथा धारा 3 लोक सम्पति क्षति निवारण अधिनियम (पीडीपीपी एक्ट) के अपराध से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त करार दिया गया है। इस प्रकरण में एक अन्य अभियुक्त मूलाराम उर्फ मूलचंद की मृत्यु होने से कार्यवाही दिनांक 06–11–2024 को ड्रोप की गई है।

3. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 17–09–2014 को परिवादी हेतराम वन उपसंरक्षक, चूरू ने पुलिस थाना कोतवाली, चूरू में उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की

कि दिनांक 17–09–2014 को समय 11:00 बजे दिन में सीताराम खटीक ने दो व्यक्तियों के साथ उनके कार्यालय (कार्यालय वन सरंक्षक, चूरू) में अनाधिकृत प्रवेश कर टेबल पर रखी हुई पत्रावलियाँ फैंक दी तथा राज्य कार्य में बाधा उत्पन्न की। उनके द्वारा बनवारीलाल सहायक वन सरंक्षक एवं परिवादी के साथ धक्का–मुक्की, गाली–गलोच एवं मारपीट की गई तथा राजकीय रिकॉर्ड को खुद–बुर्द करने का प्रयास किया गया। सहायक वन संरक्षक की तरफ पेपर वेट फैंका जो दीवार पर जाकर लगा, टेबल पर रखी लोग बुक फाड़ दी। साथ आये दो अन्य व्यक्तियों में से एक मूलाराम रेगर निवासी रतनगढ़ था। अपराधियों द्वारा भविष्य में जान से मारने एवं राजकार्य में पुनः बाधा डालने की धमकी दी गई, वगैरह–वगैरह।

4. उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना कोतवाली, चूरू में एफ आई आर नम्बर 340/2014 धारा 3 लोक सम्पति क्षति निवारण अधिनियम में दर्ज कर बाद अनुसंधान प्रत्यर्थी/अभियुक्त सीताराम व अभियुक्त मूलाराम उर्फ मूलचंद के विरूद्ध धारा 332, 353/34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3 लोक सम्पति क्षति निवारण अधिनियम के तहत आरोप–पत्र योग्य विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 1–11–2014 को पेश किया गया।

5. योग्य विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी/अभियुक्त को धारा 332, 353/34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3 लोक सम्पति क्षति निवारण अधिनियम के तहत आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो प्रत्यर्थी/अभियुक्त ने आरोप सुन व समझ कर आरोपों से अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही। अभियोजन पक्ष ने मौखिक साक्ष्य में गवाहान पी.ड. 1 बनवारीलाल मजरूब, पी.ड.2 हेतराम परिवादी/मजरूब, पी.ड.3 हरलालसिंह, पी.ड.4 सतार अली, पी.ड.5 बाबूखाँ, पी.ड.6 राजहँस अनुसंधान अधिकारी, पी.ड.7 मदनलाल तथा पी.ड.8 अनिल कुमार बिश्नोई के बयान लेखबद्ध करवाये एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श.पी.1 लगायत प्रदर्श.पी.18 तक दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये। तत्पश्चात् प्रत्यर्थी/अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गये, जिसमें उसने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुए स्वयं को निर्दोष होना बताया तथा साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा गया इसके उपरान्त योग्य विचारण न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस अन्तिम सुनी जाकर यह आलौच्य अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया।

6. दोनों पक्षों की बहस को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. दौराने बहस योग्य लोक अभियोजक ने अपील के ज्ञापन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से बहस की है कि अभियोजन के गवाहों पी.ड.1 बनवारीलाल तथा पी.ड.2 हेतराम परिवादी, पी.ड.3 हरलालसिंह, पी.ड.4 सतार अली, पी.ड.5 बाबू खाँ, पी.ड.7 मदनलाल के बयानों से अभियोजन के मामले की पुष्टि होती है। योग्य विचारण न्यायालय ने इन गवाहों के बयानों को दरकिनार कर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया है। गवाहों के बयानों में जो मामूली विरोधाभास आये हैं, उनसे घटना की स्वाभाविक रूप से पुष्टि ही होती है। इस आधार पर योग्य विचारण न्यायालय द्वारा पारित निणर्य व आदेश को अपास्त कर प्रत्यर्थी/अभियुक्त को दण्डित करने का अनुरोध किया है।

8. जबकि योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी/अभियुक्त ने बहस की है कि योग्य विचारण न्यायालय ने अभियोजन गवाहों के बयानों पर गहनता से विचार कर सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन कर विधिसम्मत निर्णय व आदेश पारित

किया है, जिसमें हस्तक्षेप की कोई गुन्जाईश शेष नहीं है। इस आधार पर अपीलार्थी की अपील को खारिज कर अपीलाधीन निर्णय व आदेश की पुष्टि करने का अनुरोध किया है।

9. दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। अभिलेख पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य एवं सुसंगत विधि का अवलोकन किया गया।

10. इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से योग्य विचारण न्यायालय के समक्ष कुल आठ गवाहों को परीक्षित करवाया गया है, जिनमें पी.ड.1 बनवारीलाल **मजरूब** है जिसने **घटना बाबत साक्ष्य** दी है, पी.ड.2 हेतराम परिवादी/**मजरूब** है जिसने **घटना बाबत साक्ष्य** दी है, पी.ड.3 हरलाल ने **घटना बाबत साक्ष्य** दी है जो **पक्षद्रोही** है, पी.ड.4 सतार अली ने **घटना बाबत साक्ष्य** दी है जो **पक्षद्रोही** है, पी.ड.5 बाबू खाँ ने **घटना बाबत साक्ष्य** दी है, पी.ड.6 राजहँस ने **अनुसंधान बाबत साक्ष्य** दी है, पी.ड.7 मदनलाल ने **घटना बाबत साक्ष्य दी** है तथा पी.ड.8 अनिल कुमार बिश्नोई ने **एफआईआर दर्ज करने व चार्जशीट पेश** करने बाबत साक्ष्य दी है।

11. इस प्रकरण में गवाहान पी.ड.1 बनवारीलाल **मजरूब,** पी.ड.2 हेतराम परिवादी/**मजरूब**, पी.ड.3 हरलाल, पी.ड.4 सतार अली, पी.ड.5 बाबू खाँ, पी.ड.6 तथा पी.ड.7 मदनलाल सभी वन विभाग के कर्मचारी हैं।

12. पी.ड.1 बनवारीलाल ने घटना बाबत साक्ष्य देते हुए **जिरह** में कथन किया है कि आने वाले व्यक्तियों ने शमसान भूमि के संबंध में दिये गये प्रार्थना–पत्र बाबत पूछा की उसमें क्या कार्यवाही हुई है। इस गवाह ने जिरह में इस सुझाव को सही बताया है कि सीताराम के हाथ में छड़ी थी। सीताराम एक पैर से अपंग हो तो, जानकारी नहीं है, इस सुझाव को सही बताया है कि सीतराम लंगड़ाकर चलता है। इस सुझाव को गलत बताया है कि सीताराम के साथ आये लोगों ने जो कार्यालय के बाहर खड़े बबलू, रामी पत्नी सेवाराम, सीमा पत्नी चैलाराम, चन्द्र पुत्र सुखाराम, हरिराम व पप्पू वगैरह सांसी समाज के लोगों ने उसे कहा हो कि उसने, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया है, सीताराम को नीचे गिराया है तथा उन्हें जाति सूचक गालियां दी, इसकी वे कार्यवाही करेंगे। **इस सुझाव को सही बताया है कि बबूल सांसी ने उसके विरूद्ध पुलिस थाना कोतवाली चूरू में जातिसूचक गालियां देने व धक्का मारने आदि का मुकदमा दर्ज करवाया था**। गवाह ने जिरह में कथन किया है कि वाहन आरजे 10 टीए 1899 प्राईवेट वाहन था। इस वाहन का अधिकृत स्वामी कौन था, उसका नाम उसे ध्यान नहीं है। उक्त वाहन डीएफओ ने किराये पर ले रखा था। इस सुझाव को सही बताया है कि लॉगबुक चालक के पास ही रहती है, अज खुद कहा लोगबुक को भरता वह स्वयं है। लोगबुक प्रदर्श.डी.1 में किये गये इन्द्राज में कोई प्रविष्टि फटी हुई नहीं है। लॉगबुक प्रदर्श.डी.1 के पृष्ठ संख्या 7 तक दिनांक 30–09–14 तिक भरी हुई है, यह उसकी स्वयं की भरी हुई नहीं है। दिनांक 18–09–14, दिनांक 23.09.14 व दिनांक 30.09.14 की प्रविष्टि उसकी नहीं है बल्कि डीएफओ की, की हुई है। इस सुझाव को गलत बताया है कि प्रदर्श.डी.1 लोगबुक घटना के समय मौका पर नहीं हो और उन्होंने फर्जी तैयार करके न्यायालय में पेश की हो। इस सुझाव को सही बताया है कि लोगबुक प्रदर्श.डी.1 में पेज 1 ता 39 है। इस सुझाव को भी सही बताया है कि उसने व डीएफओ ने मिलकर स्टाफ को गवाह बना कर झूठा मुकदमा किया हो।

13. पी.ड.2 हेतराम परिवादी/मजरूब ने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना बाबत साक्ष्य देते हुए **जिरह** में कथन किया है कि बनवारीलाल ने घटना बाबत उसको कोई लिखित में प्रार्थना–पत्र नहीं दिया, अज खुद कहा क्योंकि

वह स्वयं वहीं था। सीताराम वगैरह तीन लोग आये थे। छुड़ाने के लिए उनके ऑफिस के दूसरे बाबूजी भी उसी समय मौका पर आ गये थे, यह बात उसने लिखित रिपोर्ट प्रदर्श.पी.8 में नहीं लिखवाई, क्योंकि यह लिखाने की आवश्यकता नहीं थी। इस सुझाव को गलत बताया है कि सीताराम एक पैर से अपंग हो, बल्कि वह लंगड़ाता है, इस सुझाव को सही बताया है कि वह छड़ी रखता है। इस सुझाव को सही बताया है कि बबूल सांसी ने बनवारीलाल व उसके व अन्य लोगों के विरूद्ध पुलिस थाना कोतवाली चूरू में मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श.डी.5 है, अज खुद कहा जो झूठा कराया था, जिसमें पुलिस ने उससे पूछताछ की थी, उसके बयान लिए या नहीं, पता नहीं। पत्र प्रदर्श.डी.4 उसको प्राप्त होने पर उसने दिनांक 27–08–2014 को जरिये पत्र क्रमांक 7075–76 के उसने इस पत्र को क्षैत्रीय वन अधिकारी, चूरू को भेजा या नहीं इस बाबत कार्यालय से पता करके बता सकता है। एफआईआर नम्बर 393/14 में उसके बयान पुलिस में हुए या नहीं उसे ध्यान नहीं है।

14. पी.ड.3 हरलाल सिंह ने घटना बाबत साक्ष्य दी है परन्तु इस गवाह को योग्य लोक अभियोजक द्वारा प**क्षद्रोही** घोषित कर जिरह की गई है, **जिस जिरह** में इस गवाह ने कथन किया है कि पुलिस ने उसके सामने नक्शा मौका की कार्यवाही की थी। नक्शा मौका प्रदर्श.पी.1 पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। इस सुझाव को सही बताया है कि पुलिस ने नक्शा मौका वहीं बनाया था, जहाँ घटना हुई थी। इस सुझाव को सही बताया है कि सीताराम ने सहायक वन संरक्षक बनवारीलाल के कक्ष में सीट पर पड़ी फाईलों को इधर–उधर फैंक दिया था तथा लोग बुक को फाड़ दिया था। **जिरह द्वारा योग्य अधिवक्ता अभियुक्त में** इस गवाह ने कथन किया है कि घटना दिन में 11–11:30 बजे हुई थी। वो तीन लोग आये थे, बाहर को उसे पता नहीं, कोई थे या नहीं। जो तीन कार्यालय में आए, उनको उसने उसी रोज देखा था, उससे पहले, नहीं देखा था। पुलिस वाले घटना के बाद करीब दो बजे कार्यालय में आ गए थे, उस समय पुलिस ने उसके बयान लिए थे और उसके साथ ही हेतराम व बनवारीलाल के बयान लिए थे। पुलिस वालों ने उस समय फटी हुई लोगबुक देखी थी और रिकॉर्ड देखा हो, तो उसे ध्यान नहीं है। जो तीन व्यक्ति उनके कार्यालय में आए, उनके नाम वह नहीं जानता था लेकिन वो आपस में पुकार रहे थे इसलिए उसने उनके नाम बताए हैं। दो व्यक्ति नाम आपस में बोल रहे थे, तीसरे का नाम तो बोल रहे थे लेकिन क्या नाम बोल रहे थे, यह उसे अब ध्यान नहीं है। कागजात इधर उधर बिखरे पड़े थे, सीताराम को कागजात फैंकते हुए नहीं देखा।

15. पी.ड.4 सतार अली ने घटना के संबंध में साक्ष्य दी है और इस गवाह को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। **जिरह** द्वारा **योग्य अधिवक्ता अभियुक्त** में इस गवाह ने इस सुझाव को सही बताया है कि वह बनवारीलाल जी का अधीनस्थ स्टाफ है। इस सुझाव को गलत बताया है कि उसने कोई घटना नहीं देखी हो व बनवारीलाल जी उसके अफसर होने के कारण उनके कहने से झूठा गवाह बना हो।

16. पी.ड.5 बाबूखाँ ने घटना के संबंध में साक्ष्य देते हुए **जिरह** द्वारा **योग्य अधिवक्ता अभियुक्त** में कथन किया है कि इन दोनों का नाम उसे स्टाफ वालों ने बताया था और स्टाफ वालों के बताने से ही उसने, उनके नाम बताए हैं। इस सुझाव को गलत बताया है कि उसने सीताराम व उसके साथियों को ऑफिस के अन्दर ना देखा हो। जब वह गया तो धक्का–मुक्की हो रही थी और गाली गलोच हो रही थी। बनवारीलाल जी को और सीताराम को सब

अलग–अलग करने की कोशिश कर रहे थे। दोनों आपस में जौर–जौर से बोल रहे थे।

17. पी.ड.6 राजहँस अनुसंधान अधिकारी ने अपनी मुख्य परीक्षा में अनुसंधान संबंधी साक्ष्य के बारे में कथन किया है। **जिरह** में इस सुझाव को सही बताया है कि फटी हुई लोग बुक या उसके फटे हुए कागजात या बिखरे हुए कागजात को उसने कब्जा में नहीं लिया था।

18. पी.ड.7 मदनलाल ने घटना बाबत साक्ष्य देते हुए **जिरह** में कथन किया है कि आपस में बोलचाल नक्शा मौका प्रदर्श.पी.1 में मार्क एच में हुई थी। वन विभाग की फाईलें कार्यालय स्टाफ मार्क–एफ में रहती हैं। मार्क एच में सहायक वन संरक्षक अकेले बैठते हैं। उसके बयान पुलिस ने ऑफिस में लिए थे। सीतराम के आ जाने के दो तीन मिनट बाद ही वह आ गया था।

19. पी.ड.8 अनिल कुमार बिश्नोई, तत्कालीन थानाधिकारी ने एफआईआर दर्ज करने व चार्जशीट पेश करने बाबत साक्ष्य दी है और **जिरह** में इस सुझाव को सही बताया है कि इस पत्रावली में उसने कोई अनुसंधान नहीं किया था।

20. उपरोक्त प्रस्तुत साक्ष्य का समग्र रूप से विवेचन किया गया।

चोट प्रतिवेदन बाबत

21. प्रत्यर्थी/अभियुक्त की ओर से इस तथ्य पर कोई आपत्ति नहीं की गई है कि वरवक्त घटना मजरूबान बनवारीलाल सहायक वन सरंक्षक एवं हेतराम उप वन संरक्षक के रूप में पदस्थापित एवं कार्यरत थे। प्रत्यर्थी/सीताराम एवं मृतक अभियुक्त मूलाराम उर्फ मूलचंद द्वारा उनके साथ मारपीट कर राज कार्य में बांधा उत्पन्न करने एवं लोक सम्पति को क्षति पहुँचाये जाने का प्रश्न है तो इस प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि दोनों आहतों का कोई चोट प्रतिवेदन पत्रावली पर नहीं है, और अनुसंधान के दौरान उनका कोई मेडिकल मुआयना भी नहीं करवाया गया है। मारपीट करने एवं लोगबुक को फाड़कर लोक सम्पति को क्षति पहुँचाये जाने संबंधी कृत्य प्रत्यर्थी/अभियुक्त सीताराम द्वारा कारित करना बताया गया है, परन्तु अभियुक्त सीताराम के संबंध में भी ऐसे तथ्य व साक्ष्य नहीं है कि उसने आहतगणों के शरीर के किस हिस्से पर चोट पहुँचाई थी। हालांकि अभियुक्त सीताराम के पास स्टिक होनी बताई गई है परन्तु स्टिक से उसके द्वारा कोई चोट कारित की गई हो, ऐसे तथ्य न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में है और न ही आहतगणों की साक्ष्य में है। हालाँकि पी.ड.3 हरलाल ने कथन किया है कि सीताराम ने स्टिक से बनवारीलाल के सिर में मारने का प्रयास किया गया था परन्तु स्टिक को उसने पकड़ लिया था लेकिन पी.ड.1 बनवारीलाल मजरूब का इस संबंध में कोई कथन नहीं है और ना ही एफआईआर में ऐसे कोई तथ्य दर्ज करवाये गये हैं। अभियुक्त सीताराम के एक पैर से विकलांग होने का तथ्य साक्ष्य में आया है, इसलिए वह स्टिक रखता है।

चश्मदीद साक्षीगण बाबत

22. गवाह पी.ड.1 लगायत पी.ड.5 तथा पी.ड.7 इस प्रकरण में चश्मदीद गवाह के रूप में परीक्षित हुए हैं, जिनमें पी.ड.1 बनवारीलाल व पी.ड.2 हेतराम मजरूबान हैं, पी.ड.3 हरलाल, पी.ड.4 सतार अली, पी.ड.5 बाबू खाँ तथा पी.ड.7 मदनलाल सभी वन विभाग के कर्मचारी हैं जो उप वन संरक्षक कार्यालय, चूरू में पदस्थापित रहे

हैं। पी.डी.3 हरलाल स्वयं के मौके पर पहुँचने पर घटना देखने का कथन करता है और बताता है कि सहायक वन संरक्षक बनवारलाल खड़े थे तथा उनके सामने प्रत्यर्थी/सीताराम और उसके दो अन्य साथी जिनमें से एक का नाम मूलाराम, बोल रहे थे, दूसरे का नाम उसे मालूम नहीं है, इस गवाह ने सीताराम तथा अन्य द्वारा थाप–मुक्कों से मारपीट करने की कोई बात नहीं कही गई है। यह गवाह **पक्षद्रोही** भी घोषित हुआ है। दूसरा चश्मदीद गवाह पी.ड.4 **सतार अली** भी **पक्षद्रोही** गवाह है, अपनी मुख्य परीक्षा में इस गवाह ने जौर–जौर से झगड़ा सुनने की बात कही है और इस गवाह ने केवल इतना देखने की बात कही है कि जो व्यक्ति सीताराम के साथ था, वह उसे बाहर ले जा रहा था। इस बाबत पी.ड.2 हेतराम परिवादी ने अपनी जिरह में इस तथ्य को सही बताया है कि उसके पुलिस बयान प्रदर्श.डी.2 में उसके साथ अभियुक्तगण द्वारा मारपीट करने की बात नहीं लिखी है। इस प्रकार अभियोजन साक्ष्य में यह तात्विक प्रकृति का विरोधाभास है, जिस विरोधाभास से अभियोजन के प्रकरण की विश्वसनीयता विपरित रूप से प्रभावित हुई है।

लोगबुक बाबत विवेचन

23. लोगबुक को फाड़ कर सावर्जनिक सम्पति को नुकसान कारित करने का जहाँ तक प्रश्न है तो यह स्वीकृत तथ्य है कि ऐसी कोई लोगबुक तफ्तीश के दौरान जप्त नहीं की गई है। पी.ड.1 बनवारीलाल की साक्ष्य में जो प्रदर्श.डी.1 लोगबुक पेश हुई है उसमें पृष्ठ संख्या 80, 81, 82 फटे होने का तथ्य साक्ष्य में आया है। जबकि पी.ड.1 बनवारीलाल की ही प्रतिपरीक्षा में यह गवाह, यह कथन करता है कि लोगबुक में 01 से 39 पृष्ठ ही हैं तथा इस गवाह का यह भी कथन है कि पृष्ठ संख्या 80, 81, 82 लोगबुक में नहीं हैं। इन सभी तथ्यों से अलग पी.ड.2 परिवादी हेतराम ने लोगबुक के पृष्ठ संख्या 3 से 15 फटे होने बाबत कथन किया है जबकि नक्शा मौका प्रदर्श.पी.1 व हालात मौका व तफ्तीशकुंनिदा अधिकारी पी.ड.6 राजहँस की साक्ष्य से मौके पर फटी हुई लोगबुक के पन्ने मिले हो ऐसे तथ्य नहीं है तथा पी.ड.5 बाबू खाँ यह कहता है कि उसने लोगबुक फाड़ते हुए नहीं देखा। इसलिए लोगबुक फाड़ने के तथ्य भी अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है।

घटना के हेतुक बाबत

24. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि एफआईआर में घटना के पीछे का हेतुक दर्शित नहीं किया गया है। प्रथम बार में घटना का हेतुक पी.ड.1 बनवारीलाल द्वारा न्यायालय कथनों में बताया गया है, परन्तु एफआईआर में इस घटना के हेतुक का कोई विवरण दर्ज नहीं है, वह भी तब जबकि अभियुक्तगण के विरूद्ध लोक सेवकों के लोक कर्तव्य निवारण में बाधा उत्पन्न का आरोप है, प्रकट करता है कि परिवादी पक्ष द्वारा घटना के कारणों को छुपाने का प्रयास किया गया है। परिवादी पक्ष के इस व्यवहार के कारण अभियुक्त पक्ष द्वारा घटना के पीछे जो कारण बताए गए है, उनकी संभावना को बल प्राप्त होता है। अभियुक्त की ओर से घटना के कारणों के संबंध में जो बचाव लिया गया है, उसे अभियोजन साक्षी पी.ड.5 बाबू खाँ ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह कथन करते हुए बल प्रदान किया है कि ''यह सही है कि बनवारीलाल जी के पास आने वाले लोग उनको कह रहे थे कि सांसियो के शमसान की जो दीवार बन रही थी, उसका क्या हुआ'' अतः यह स्पष्ट है कि बचाव पक्ष द्वारा इस आशय का जो बचाव लिया गया था कि अभियुक्त पक्ष अन्य व्यक्तियों के साथ उक्त कार्य हेतु घटनास्थल कार्यालय में आया। यह विश्वसनीय बचाव है कि बचाव पक्ष द्वारा भी परिवादी पक्ष के विरूद्ध परिवादी पक्ष द्वारा आरोपियों को जातिसूचक

गालियां देने के मामले में एफआईआर जरिये इस्तगासा दर्ज करवाई गई जो तथ्य भी अभिलेख पर हैं।

25. इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा एफ आई आर में सक्रिय रूप से घटना के कारणों को छुपाना, घटना के कारणों को अभियुक्त पक्ष द्वारा साक्ष्य में उजागर करना तथा तथा उन कारणों की संभावना की प्रबलताओं को साबित करने के आधार पर भी यह संदेहास्पद है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी पक्ष के साथ मारपीट की गई हो तथा सार्वजनिक सम्पति को क्षति कारित की गई हो।

26. इस प्रकरण में दृष्टासाक्षीगण पी.ड.3 हरलाल, पी.ड.4 सतार अली पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। अभियोजन गवाहों के बयानों में महत्वपूर्ण एवं तात्विक विरोधाभास आए हैं। पत्रावली में चोट प्रतिवेदन का अभाव है, घटना के समय जिस लोग बुक को फाड़ कर सावर्जनिक सम्पति को नुकसान कारित करना बताया गया है, परन्तु ऐसी कोई लोग बुक अनुसंधान के दौरान जप्त नहीं की गई है तथा घटना के हैतुक बाबत जो साक्ष्य पत्रावली पर आई है, उसको देखते हुए यह संदेहास्पद है कि प्रत्यर्थी/अभियुक्त द्वारा परिवादी पक्ष के साथ मारपीट की गई हो तथा लोक सम्पति की हानि कारित की गई हो।

27. पत्रावली पर जो मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध हुई है उसके विवेचन के आधार पर योग्य विचारण न्यायालय द्वारा तमाम तथ्यों को देखते हुए प्रत्यर्थी/अभियुक्त सीताराम की जो दोषमुक्ति की गई है उसमें हस्तक्षेप किए जाने के कोई आधार नहीं होने से अपीलार्थी/अभियोजन की ओर से प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार किए जाने योग्य है तथा योग्य विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी/अभियुक्त को अपीलाधीन निर्णय व आदेश के माध्यम से धारा 332, 353/34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3 लोक सम्पति क्षति निवारण अधिनियम के आरोपों से जो दोषमुक्ति की गई है वो पूर्ण रूप से विधि सम्मत एवं उचित होने से पुष्ट किए जाने योग्य है।

– आ दे श –

28. अतः अपीलार्थी/राजस्थान सरकार जरिये योग्य लोक अभियोजक चूरू (राजस्थान) की ओर से प्रस्तुत हस्तगत अपील, अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती हैं। योग्य विचारण न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू द्वारा नम्बरी फौजदारी प्रकरण संख्या 767/2014 राज्य बनाम सीताराम वगैरह में दिनांक 30–07–2025 को पारित निर्णय व आदेश के क्रम में अन्तर्गत धारा 332, 353/34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3 लोक सम्पति क्षति निवारण अधिनियम, के तहत की गई दोषमुक्ति के निर्णय व आदेश की पुष्टि की जाती है। योग्य विचारण न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे।

(सोनिक पुरोहित)
सत्र न्यायाधीश, चूरू (राजस्थान)

29. निर्णय आज दिनांक 18.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सोनिक पुरोहित)
सत्र न्यायाधीश, चूरू (राजस्थान)